निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

वर्तमान अध्ययन सोनभद्र जनपद के दुद्धी तहसील में निवास करने वाले जनजातीय किसानों की जीवन-शैली के विवेचन हेतु संरचित किया गया था। यह एक विवरणमूलक अध्ययन था। इस अध्ययन के अन्तर्गत दुद्धी विकासखण्ड के जनजातीय कृषकों की आधार संरचना सामाजिक सम्बन्ध वन-संसाधन से लगाव श्रम की दशाओं एवं विकास की स्थितियों का विवेचन किया गया। वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित शोध-प्रश्नों की पृष्ठभूमि में तथ्यों की खोज की गयी और उनका प्रतिउत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

(1) जनजातीय किसानों की सामाजिक-आर्थिक आदि विशेषताएं क्या हैं ?

(2) खेती का स्तर मजदूरी कार्य और बचत आदि की क्या स्थिति है ?

(3) उनका शोषण अभी तक किस तरह और किनके द्वारा हो रहे हैं ?

(4) साधन सम्पन्न लोगों पर वे किस प्रकार आश्रित हैं ?

(5) उनका सांस्कृतिक जीवन क्या है ? परिवर्तनों से वे किस प्रकार प्रभावित हैं ?

(6) गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य अवरोधक तत्व कौन से हैं ?

(7) इन किसानों द्वारा कौन से आन्दोलन उठाये गये हैं ?

भौगोलिक पृष्ठभूमि :

दुद्धी क्षेत्र असमतल पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मिट्टी लाल और दोमट है। पूरा क्षेत्र कहीं कहीं घने और कहीं कहीं विरल वनों से आच्छादित है। कस्बे से चोपन, रेणुकोट और विंढमगंज के लिए पक्की सड़कें सुलभ हैं।

क्षेत्र में कुछ कुएं भी हैं जिनका जल पीने हेतु उपयोग में लाया जाता है। सामान्यत: कृषि वर्षा पर आधारित है। और कुछ कृषकों के पास निजी पम्प भी हैं। भूमि के पथरीली होने के कारण ट्यूवेल और पम्पिंगसेट लगाया जाना दुश्कर कार्य है।

दुद्धी क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुछ तालाब और बन्धी बनाये गये हैं। जिनमें वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। पहाड़ी नालों से पम्प के द्वारा जल प्राप्त करने की सम्भावना अधिक रहता है।

जनसंख्या :

दुद्धी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय एवं अनुसूचित जाति हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी कुल 96 आवाद गांवों में से 34 गांवों में निवास करते हैं। इस विकासखण्ड में 19.33 प्रतिशत पुरुष तथा 2.54 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 663919 जन-जातीय निवास करते थे जिनमें 346078 पुरुष तथा 317841 स्त्रियां थीं। उत्तर प्रदेश के कुल आदिवासियों ।12 लाख। में से आधे से अधिक मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में निवास करते हैं।

दुद्धी क्षेत्र में चेरो, पनिका, खरवार, मझवार, कोरवा, गोंड़, भुइया, पहरिया, बादी, अगरिया और खरिया आदि जनजातियां प्रमुख हैं। पूजा-पाठ जीवन शैली एवं आचार-विचार में अधिकांश आदिवासी धर्म मतावलम्बी है।

इस क्षेत्र में चिकित्सकीय देखरेख के कारण शिशु मृत्युदर अधिक है। चेचक हैजा, डिप्थिरिया और टिटनेस जैसे रोगों से मरने वाले बच्चों की संख्या अधिकाधिक होती है। पोषणयुक्त खाद्य की कमी और गन्दगी के कारण अधिकांश बिमारियां फैलती हैं।

आय एवं व्यवसाय :

दुद्धी क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी परिवार कृषक के रूप में जीवन-यापन कर रहे हैं । जनजातीय जीवन-शैली से कृषक जीवन-शैली में परिवर्तन इस क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी समुदाय की प्रमुख विशेषता है । कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण आय एवं रोजगार का प्रमुख केन्द्र बना हुआ है । इसके अतिरिक्त जंगल के लघु उत्पादों का संकलन परम्परागत घरेलू उद्योग और सरकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाला श्रम दिवस इनके जीवन का प्रमुख आधार है ।

दुद्धी क्षेत्र के विकास के लिए कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाना अति-आवश्यक है । क्योंकि आजिविका के प्रमुख संसाधन कृषि के विकास के बिना आदिवासियों का विकास दुश्कर है । क्षेत्र की अधिकांश भूमि पर गेहूं, मक्का धान, जौ, और अरहर की खेती के उपयोग में लायी जाती है और इसमें नगद फसलों की सम्भावनाएं बनी हुई हैं जो कृषकों के आय वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन सकती है सिंचाई साधनों का विकास अत्यावश्यक है । क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम है और इसके विस्तार की अधिकांश सम्भावना बनी हुई है । साथ ही साथ बन्धी और तालाबों का निर्माण तथा कुओं की देखरेख की प्रचुर आवश्यकता है ।

कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उनके व्यवसाय के क्षेत्रों में विविधता लानी होगी और इसके लिए ग्रामीण उद्योग प्रस्थापित किये जा सकते हैं । ग्रामीण उद्योगों के विकास की अधिकांश संभावनाएं हैं कुछ आदिवासी कताई, बुनाई का व्यवसाय परम्परागत रूप से करता है और उनके इस व्यवसाय में निरन्तर ह्रास हो रहा है । कताई, बुनाई के अतिरिक्त लाह, रेशम के कीड़े और पलास एवं तेंदू की पत्तियों से संबंधित व्यवसाय को प्रस्थापित कर आदिवासियों की आय में वृद्धि की जा सकती है । बनवासी सेवाश्रम, ग्रामीण विकास संस्थान और अन्य सहकारी माध्यमों से इस क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा

रहे हैं परंतु सरकारी संसाधनों के उचित देख-रेख और निजी इकाइयों के नियोजन की आवश्यकता है ।

खपत :

आदिवासी परिवारों द्वारा उपभोग के अधिकांश क्षेत्रों के गहन अवलोकन हेतु यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी आय का 80 प्रतिशत भाग योजना पर व्यय करते हैं, जबकि अन्य व्यय के क्षेत्र परम्परागत संस्कार और वस्त्र इत्यादि है । महुआ का संकलन कर अधिकांश आदिवासी उससे शराब बनाते हैं तथा नीजी खपत में लाते हैं । सरकार को इसपर नियन्त्रण करना चाहिए । यह आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

परिवार :

अधिकांश आदिवासी कृषकों के परिवार एकाकी प्रकृति के थे और उनमें 9 से अधिक सदस्य निवास करते थे । कुछ संयुक्त परिवारों (16.63 प्रतिशत) में निवास करने वाले सदस्यों की संख्या 12 से अधिक थी । सामान्यत: आदिवासी सदस्य एकाकी पारिवारिक जीवन को महत्व देते हैं और पूरा परिवार एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है । महिलाओं की स्थिति परिवार में विशिष्ट है क्योंकि वे पारिवारिक आय के प्रमुख सहयोग देती है परंतु अन्य हिन्दू जातियों की भांति इनमें भी पुरुषों की प्रधानता है और महिलाएं पुरुषों के अधीन जीवन-यापन करती हैं ।

अध्ययन के अन्तर्गत चयनित परिवारों में 76.88 प्रतिशत परिवार एकाकी प्रकृति के थे । पनिका, खरवार, चेरो, और कोरवा जाति के 85 से 95 प्रतिशत परिवार एकाकी प्रकृति के थे एकाकी प्रकृति के अधिकांश परिवारों में 9 से कम सदस्य थे, जबकि संयुक्त परिवारों में अधिकांश परिवार ऐसे थे जिनमें 9 से अधिक सदस्य थे ।

शिक्षा :

दुद्धी क्षेत्र की शैक्षणिक संरचना में प्राचीन दुद्धी राज्य और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राज्य द्वारा स्थापित किये गये विद्यालयों की भूमिका प्रमुख रही है । क्षेत्र में दुद्धी स्टेट द्वारा संचालित 20 विद्यालय आज भी कार्य-रत है परंतु इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । वनवासी सेवाआश्रम द्वारा बच्चों की शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है । शिक्षा और व्यवसाय के मध्य क्षेत्रीय विषमता होने के कारण क्षेत्र के लोग शिक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूक नहीं है । क्षेत्र के अधिकांश नव-युवक जिन्होंने जू0हा0 स्कूल अथवा इण्टरमीडियट तक शिक्षा प्राप्त की है । उन्हें समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है । नवयुवको से बात-चित करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि रोजगार के अवसरों के संदर्भ में सामान्यत: उन्हें जानकारी नहीं प्राप्त होती और यदि कभी-कभार ऐसी स्थिति आती भी है तो समय-साधन और स्रोत की अनुपलब्धता उन्हें रोजगार के अवसरों के लाभ से वंचित कर देती है ।

दुद्धी क्षेत्र में साक्षरता दर अत्यधिक निम्न है और अज्ञानता तथा निरक्षरता के कारण अधिकांश आदिवासियों को धोखा-धड़ी का सामना करना पड़ता है । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अभाव में वे न तो अपना विकास कर पा रहे हैं और न ही अपने बच्चों के लिए भावी नीति तय कर पा रहे हैं । जनपद की शैक्षणिक प्रतिशतता से भी यहाँ की दर अत्यधिक निम्न है । परंतु कृषक परिवारों में अधिकांश सदस्य शिक्षित या साक्षर पाये गये थे जिसका कारण उनकी तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति हो सकती है ।

आवास :

दुद्धी क्षेत्र में सामान्यत: कच्चे पक्के और मिश्रित ।कच्चा, पक्का। प्रकृति के आवास पाये जाते हैं । अधिकांश कृषकों के आवास खपरी नुमा थे जिनमें तीन से

पाँच कमरे आँगन और दरवाजे से सटी घास-फूस की मड़ई देखी जा सकती है। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु कृषक अपने आवास के प्रमुख द्वार पर लकड़ियों एवं बांस के सहारे बाढ़ भी लगाये हुए थे। अधिकांश कृषकों के आवास कच्ची-कूँमट्टी के दिवारों एवं खपरैल से बने हुए थे। लगभग 10 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनका आवास पक्की ईंटों के थे। आवासों के बनाये जाने वाले कमरों में न तो खिड़की होती है और न ही रोशनदार कमरों की सामान्य लम्बाई व 15 फूट और चौड़ाई 7 फूट रखी जाती है।

धार्मिक उत्सव :

दुद्धी क्षेत्र में दशहरा, दिपावली, कजरी, तीज, खिचड़ी, वैशाखी आदि त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दू धर्म को मानने वाले अधिकांश आदिवासी परिवार शिव और देवी की पूजा करते हैं तथा विभिन्न उत्सवों के अवसर पर भजन-कीर्तन व नृत्य आदि करते हैं। परम्परागत सामुदायिक रीति-रिवाजों और उत्सवों का वे पालन करते हैं। इनके अधिकांश कर्मकाण्ड अंधविश्वास से युक्त हैं। ग्रामीण बाजारों के अवसरों पर भी मेले का दृश्य दिखलाई पड़ता है।

आदिवासी परिवारों में अधिकांश निर्धन है और उनमें कृषकों की प्रस्थिति अपेक्षाकृत उच्च है। समुदाय के बहुतायत लोग निर्धन हैं। परिणामस्वरूप त्योहारों और धार्मिक उत्सवों पर अनुमानित व्यय दर अत्यधिक निम्न रहती है। धीरे-धीरे आदिवासी उत्सवों पर व्यय किये जाने वाले धनराशि में कटौती कर रहे हैं।

आमोद-प्रमोद :

आदिवासी समुदाय में आमोद-प्रमोद का प्रमुख साधन भजन-किर्तन, कर्मा नृत्य, शिकार, मुर्गा लड़ाना, भेड़ा लड़ाना प्रमुख है। कुछ नवयुवक सिनेमा आदि भी देखते हैं।

गाँव - सामाजिक नियन्त्रण की एक इकाई :

दुद्धी क्षेत्र के आदिवासी गाँव की प्रवृत्ति में एकरूपता पायी जाती है। गाँव में आवासीय विविधता एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहन-सहन में विविधता तो है परंतु पारिवारिक पड़ोसी व जातीय सदस्यों के अन्तर्गत होने वाले झगड़ों या मनमुटाव की स्थितियों का निवारण गाँव-पंचायत या जातीय संगठन के माध्यम से कर लिया जाता है। आदिवासियों में लैंगिक संबंधों की स्वतन्त्रता नहीं है और असमान्य लैंगिक संबंध रखने वालों को जाती व कभी-कभी गाँव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वस्तुत: ग्रामीण संगठन सामाजिक नियन्त्रण की प्रमुख इकाई के रूप में प्रस्थापित है।

सांस्कृतिक जीवन :

दुद्धी क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक जीवन के परम्परागत आधारों में 1870 ई0 के बाद परिवर्तन तेजी के साथ आया है। भू-स्वामित्व के संदर्भ में बन्दोबस्त व्यवस्था लागू किये जाने के साथ सुपरदारों की नयी नियुक्तियों ने परम्परागत आदिवासी समुदाय के केन्द्र को गतिशील बना दिया था। जंगल के उत्पादों व झूम खेती पर आश्रित आदिवासी बनवासी से ग्रामवासी बन गया है। अब वह आदिवासी संस्कृति से परे ग्रामीण संस्कृति का जीवन जी रहा है। बहुत कम आदिवासी परिवार जंगलों के दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृति से अप्रभावी है।

आदिवासियों के जीवनशैली में परिवर्तन की गति और तीव्र हो गयी है जिसका प्रत्यक्षीकरण उनके पहनावे खाद्य आदतों और मद्यपान तथा स्वास्थ्य देख-रेख के स्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। दुद्धी क्षेत्र कस्बे के आस-पास के गाँव तेजी के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्ययन के अन्तर्गत कृषक परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और जंगल के उत्पादों पर उनकी आश्रितता तथा विकास के संसाधनों से जुड़ने की दशाओं का विवरण अध्याय तीन एवं अध्याय 4 के अन्तर्गत किया गया है । जिनमें प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है ।

आदिवासी कृषक परिवारों के संदर्भ में सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों से संबंधित संकलित तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश कृषक परिवारों (70.65 प्रतिशत) के मुखिया 30 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के थे और 76.88 प्रतिशत परिवार एकाकी प्रकृति के थे पनिका, खरवार और चेरों के साथ-साथ कोरवा जाति के अधिकांश कृषक परिवार एकाकी प्रकृति के थे । गोड़, भुइया और पठारी आदिवासियों के अधिकांश परिवार संयुक्त प्रकृति के थे । अधिकांश कृषक परिवारों में सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य थी । एकाकी परिवार में भी 12 या 12 से अधिक सदस्य निवास करते थे । 66.75 प्रतिशत कृषकों के पास 5 से 15 एकड़ भूमि थी ।

कृषक परिवारों में मुखिया की शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में प्राप्त किए ये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 38.45 प्रतिशत मुखिया शिक्षित थे और अन्य या तो साक्षर या अशिक्षित थे । शिक्षित मुखिया इण्टरमीडिएट या उससे कम शिक्षा प्राप्त थे । युवा आयु वर्ग के मुखिया तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षित थे ।

कृषकों के पास जुताई के लिए सामान्यत: 3 से कम बैल थे । मात्र 32.99 प्रतिशत कृषकों के पास 4 बैल थे । 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले अधिकांश कृषकों के पास 4 बैल थे । 5 एकड़ से कम भूमि वाले अधिकांश कृषक एक हल की खेती करते थे । 15 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों के पास रेहन की खेती थी । अधिकांश कृषक गाय एवं भैंस रखते थे, जबकि कुछ कृषकों के पास गाय या बकरी थी । सामान्यत: कृषक 5 से 10 पशु रखते थे ।

सिंचाई के साधन अधिकांश कृषकों के पास नहीं थे । मात्र 6.75 प्रतिशत कृषकों के पास नीजी कुआं और पम्प था । अधिकांश कृषकों 70.91 प्रतिशत को कृषि विकास की राजकीय व्यवस्था एवं सुविधा का ज्ञान नहीं था । कृषक विभिन्न फसलों का उत्पादन 3 क्विंटल से कम ही करते थे । कुछ कृषक ऐसे थे जो जौ, मेढ़ो, रहर, चना और कुरथी का उत्पादन 3 क्विंटल से अधिक करते थे । उत्पादित खाद्यान्न अधिकांश कृषकों की वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता था । मात्र 20.26 प्रतिशत कृषक उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करते थे और इनमें अधिकांश कम्पोस्ट और रासायनिक खाद का उपयोग करते थे ।

कृषक परिवारों में अशिक्षा, अधिक सदस्य संख्या, निम्न उत्पादकता और कम दुध देने वाले पशुओं की अधिक संख्या के साथ साथ विकास के संसाधनों से विलगता और सिंचाई की दुष्कर स्थिति प्रमुख अविकास के कारक के रूप में प्रगट हुई है जो इनकी निर्धनता का भी आधार है ।

आदिवासी कृषक समुदाय कृषि के अतिरिक्त जंगल के लघु उत्पादों एवं गांव-समाज की भूमि से अपनी आजीविका संबंध बनाये हुए हैं । वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत आदिवासियों का जंगल के लघु उत्पादों से संबंध, ऋण लेन-देन एवं सांस्कृतिक जीवनशैली के संबंध में तथ्यों का विश्लेषण किया गया है ।

जंगल के लघु उत्पादों से 95.58 प्रतिशत कृषक परिवार उत्पादन उपभोक्ता का संबंध बनाए हुए हैं । 80 प्रतिशत कृषक परिवारों के सदस्य सरकारी योजनाओं में दैनिक श्रमिक के रूप में भी कार्य करते हैं । 56.10 प्रतिशत कृषक परिवारों में महिलाएं और पुरुष कृषि मजदूरी भी करते हैं । कुल 12.21 प्रतिशत कृषक परिवार ऐसे भी थे जिनमें एक या दो सदस्य नौकरी भी करते थे ।

जंगल के लघु उत्पादों से अधिकांश कृषक परिवारों (74.46 प्रतिशत) को 500 से 2000 रुपये प्रति वर्ष आय हो जाती थी ।

शत-प्रतिशत कृषक परिवारों ने कृषि के विकास, शादी-विवाह एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियों, बैंकों, और महाजनों से ऋण प्राप्त किया था । महाजनी ऋण लेने वाले कृषकों की संख्या अत्यधिक कम थी, परंतु सहकारी समितियां और बैंकों से अधिकांश कृषकों ने ऋण लिया था । कृषक महाजनों से उच्च दर पर ऋण प्राप्त करते थे । परंतु उन्हें महाजनी ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता था ।

आदिवासी समुदाय मनोरंजन के परम्परागत स्वरूप को बनाये हुये हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक गत्यात्मकता बनी हुयी है । जातीय संगठन के प्रति विश्वास सामुदायिक संगठन में महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्थापित है । आदिवासी कृषक अपनी जीवन-शैली को धीरे-धीरे परिवर्तित कर रहे हैं और समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परम्परागत संस्थाओं और अभिकरणों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं ।

--- 0 ---